भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI/2024-25/103

सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S770/42-01-029/2024-2025 03 जनवरी 2025

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/ महोदय,

ई-कुबेर के साथ एकीकरण के माध्यम से सरकारी लेनदेन के लिए 30 मार्च 2025 की स्थिति

'ई-कुबेर' जो कि सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफार्म है, वैश्विक छुट्टियों (जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेन-देन को संसाधित नहीं करता है। यह देखा गया है कि 30 मार्च 2025 को रविवार है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन-देनों का लेखा रखने के लिए 30 मार्च 2025 (रविवार) को सरकारी लेन-देन के लिए कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए।

2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 30 मार्च 2025 को ई-कुबेर सरकारी लेन-देन के लिए खुला रहेगा, ताकि 30 मार्च 2025 को ई-कुबेर के साथ एकीकरण के माध्यम से संसाधित सभी सरकारी लेन-देन का लेखा रखा जा सके और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के नकदी शेष 30 मार्च 2025 को प्राप्त हो सकें।

3. साथ ही, ई-कुबेर प्रणाली द्वारा सरकारी लेन-देनों से संबंधित डेटा आरबीआई को स्थानांतरित करने के लिए बैंकों से लगेज फाइलें भी 30 मार्च 2025 (रविवार) को लेखांकन के लिए निर्धारित अंतिम समय सीमा तक ही स्वीकार की जाएंगी।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई -400 008
Department of Government and Bank Accounts, Central Office, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai - 400 008
Telephone: (022) 2308 4121, Fax No. (022) 2300 0370/2301 6072/2301 0095, e-mail: cgmicdgbaco@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।